भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 1733

(जिसका उत्तर सोमवार, 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक) को दिया गया)

ग्रामीण क्षेत्रों में सीएसआर व्यय

1733. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः
श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में सीएसआर व्यय को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने कोई अध्ययन अथवा अनुसंधान कराया है जिससे यह निर्धारित हो सके कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीएसआर क्रियाकलापों को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क): एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल किए गए कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) से संबंधित समस्त डाटा www.csr.gov.in सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। मंत्रालय शहरी और ग्रामीण क्षेत्र वार सीएसआर व्यय का डाटा अलग से नहीं रखता है। तथापि, एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले पांच वित्त वर्ष (वि.व.) के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कंपनियों द्वारा संचयी रूप से किए गए कुल सीएसआर व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है

विवरण	**विव 2016-17**	**विव 2017-18**	**विव 2018-19**	**विव 2019-20**	**विव 2020-21**
सीएसआर व्यय (करोड़ रु में)	14,394.55	17,098.20	20,196.95	24,954.78	25,714.65

(30.09.2022 तक के आंकड़ें) [स्रोत: राष्ट्रीय सीएसआर डाटा पोर्टल]

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सीएसआर डाटा के संबंध में कंपनियों को दिनांक 31.03.2023 तक या उससे पहले फाइल करना अपेक्षित है।

(ख) और (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की अनुसूची VII कार्यकलापों की उस पात्र सूची को दर्शाती है जिन्हें कंपनियों द्वारा सीएसआर के रूप में प्रारंभ किया जा सकता है। अधिनियम की अनुसूची VII की मद सं. (X) के अंतर्गत 'ग्रामीण विकास परियोजनाएं' पात्र सीएसआर कार्यकलाप है। वि.व. 2014-15 से वि.व. 2020-21 तक, कंपनियों द्वारा ग्रामीण विकास कार्यकलापों पर 12,301.25 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई है।

जारी.....2/-

अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनी के सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उनका निष्पादन करने और उनकी निगरानी करने का अधिकार है। सीएसआर अधिदेशित कंपनियां, अधिनियम और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 में निहित प्रावधानों को पूरा करने के अध्यधीन अनुसूची VII में उल्लिखित किसी भी कार्यकलाप को शुरू कर सकती है। सरकार कंपनियों को किसी विशेष क्षेत्र या कार्यकलाप में खर्च करने के लिए कोई विशेष निदेश जारी नहीं करती है।

इसके अतिरिक्त, डीपीई द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, वह वित्त वर्ष 2018-19 से सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और सीपीएसई को ऐसे विषयगत कार्यक्रमों के लिए सीएसआर व्यय पर एक विषय आधारित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए दिशानिर्देश जारी करता रहा है जो सीपीएसई के वार्षिक सीएसआर व्यय का लगभग 60% होना चाहिए और नीति आयोग द्वारा पहचाने गए आकांक्षी जिलों को सीएसआर व्यय में प्राथमिकता दी जा सकती है।

(घ) और (ड.): सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट रूप से कोई अध्ययन या अनुसंधान नहीं किया है। तथापि, भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने पांच राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, गुजरात और राजस्थान के जनजातीय और पिछड़ें क्षेत्रों में तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 2014-15 से 2016-17 के दौरान 100 कंपनियों द्वारा किए गए सीएसआर व्यय के प्रभाव पर एक अध्ययन किया था।

*****